<u>डॉ. (प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–06.04.2019 (शनिवार) को समिति कार्यालय रांची, में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 54वीं की बैठक की कार्यवाही :–</u>

1. उपस्थिति :– बैठक में उपस्थित/अनुपस्थित सदस्य यथास्थान अभिलिखित :

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	अनुपस्थित
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, (वित्त–विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ.(प्रो.) नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
7.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित
8.	श्री विन्ध्याचल पाण्डेय, सह–शिक्षक,नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	विशेष आमंत्रित शिक्षक–प्रतिनिधि सदस्य	उपस्थित
9.	श्री भानू कुमार, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय; अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।	विशेष आमंत्रित सदस्य	उपस्थित

2. **<u>कार्यसूची मद संख्या–01</u>** :– विगत 53वीं बैठक दिनांक–01.02.2019 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. **<u>कार्यसूची मद संख्या–02</u>** :– विगत 53वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई; तदनुसार, कुछेक

कृष्ण कुमार नाग
12.4.2019

अनुपालित बिन्दुओं के संदर्भ में कतिपय निर्देश/संशोधन के साथ समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

(क) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक – 3 (ख)</u> :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री ओम प्रकाश तियु, शिक्षक, रसायनशास्त्र विभाग, जो सम्प्रति बी.एड. करने के लिए विद्यालय से अवैतनिक अवकाश पर हैं, को विद्यालय स्तर से अंतिम पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसमें उनसे पृक्षा की गई थी कि वे कब तक विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे ? श्री तियु ने यह प्रतिउत्तर दिया है कि सत्र 2017–19 की अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित पश्चात् मैं अपना योगदान समर्पित करूँगा। श्री तियु के प्रतिउत्तर में स्पष्ट तिथि अभिलिखित नहीं होने के कारण संशय की स्थिति दीख पड़ने के कारण बैठक में ही समिति के सदस्य डॉ. (प्रो.) नरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने श्री तियु से दूरभाष संख्या–8709913884 पर वार्ता कर पूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। तदोपरांत, सभापति द्वारा दूरभाष पर ही श्री तियु को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा समाप्त होते ही वे अविलम्ब विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करें। सभापति के निर्देश पर श्री तियु ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस आशय का एक पत्र उन्हें भेज दिया जाय।

(ख) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–3(ग)</u> :– 15 नवम्बर, 2018 विद्यालय दिवस, के अवसर पर हुए खर्च के संदर्भ में वित्त–विभाग के संयुक्त सचिव, सह–पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति, श्री अखिलेश वाजपेयी जी के सुझाव कि प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव कुल खर्च की विस्तृत विवरणी तथा विगत पाँच सालों में विद्यालय दिवस के अवसर पर उपलब्ध बजट एवं हुए खर्च की तुलनात्मक विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन (जब तक की हो चुकी हो) सहित कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में चर्चा हेतु उपस्थापित करें। कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों का मत हुआ कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री अखिलेश वाजपेयी जी के मंतव्य के बाद ही निर्णय लिया जाए ताकि ऐसे अवसरों पर भविष्य में भी उचित व्यवस्था के साथ–साथ मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन मिल सके, को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(ग) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–3(घ)</u> :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री रवि शंकर शर्मा, विक्रेता सहकारी सहयोग भण्डार, नेतरहाट को आवास खाली करने हेतु अंतिम निर्देश पत्र दिए गए थे, पत्र के आलोक में श्री शर्मा ने और 08 माह तक की समय सीमा की मांग की है। इस पर बैठक में उपस्थित वित्त–विभाग के संयुक्त सचिव व कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि संदर्भित विषय पर समय सीमा नहीं बढ़ाया जाय, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्संबंधित पत्र अविलम्ब अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआटाँड़ को प्रेषित किए जांये, और उसकी प्रतिलिपि स्थानीय थाना प्रभारी को भी दी जाय ताकि आवास खाली कराने में देरी पर देरी न होते रहे; उनके इस

12.4.2019

प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सहमति दी गई। प्राचार्य को यह भी निर्देश हुआ कि सहकारी सहयोग भण्डार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके निमित्त बनी कमिटी के अध्यक्ष के रूप में बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई करें।

(घ) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–3(ड.)</u> :– प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक–16.03.2019 को श्री विनोद कुमार कर्ण जी की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय की भूमि–संबंधी समस्या पर परिचर्चा के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा बनायी गई उप–समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विद्यालय के वरीय सह–शिक्षक श्री विन्ध्याचल पाण्डेय सदस्य के रूप में उपस्थित थें। उप–समिति ने सदस्यों को अवगत कराया कि कुछेक नक्शों को प्राप्त कर लिया गया है, और शेष नक्शों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। श्री पाण्डेय ने बताया कि सम्प्रति जिला पदाधिकारियों की चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सके हैं, परन्तु चुनाव कार्य के बाद जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक पहल उनकी देख–रेख में कर लिया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि सम्प्रति जो भी जमीन विद्यालय के लिए नापी के बाद चिन्हित होता जाए, उसे अपने कब्जे में लेते जाने के लिए तत्काल कंटीले तार से घेरते जाने की व्यवस्था करने के लिए प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

(ड.) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–11</u> :– कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार छात्रों के शुल्क–संबधी विषय पर आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिनांक–15.03.2019 को प्राचार्य–कक्ष में उप–समिति के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार कर्ण जी, के अलावा विद्यालय के प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह एवं विद्यालय के सह–शिक्षक, श्री अंशुमान चटर्जी भी सदस्य के रूप में उपस्थित थे। उप–समिति के प्रतिवेदन को सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया।

इस पर विचार–विमर्श के क्रम में वित्त–विभाग के संयुक्त सचिव श्री अखिलेश वाजपेयी जी के मंतव्य के अनुसार संशोधनों के साथ उप–समिति के शुल्क–सम्बन्धी प्रतिवेदन को संशोधित करते हुए निम्नलिखित तालिका की सर्वसम्मति से सहमति दी गई :

आय वर्ग	छात्र के अभिभावक (माता–पिता) या वैधानिक अभिभावक की सम्मिलित मासिक आय।	वार्षिक शिक्षण शुल्क	विद्यालय पोशाक तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति
'क' वर्ग	रूपये 15,000.00 तक	निःशुल्क	आधा मूल्य पर देय
'ख' वर्ग	रूपये 15,001 से 30,000.00 तक	19,000.00	पूरा मूल्य पर देय
'ग' वर्ग	रूपये 30,001 से 40,000.00 तक	38,000.00	पूरा मूल्य पर देय

12.4.2019

'घ' वर्ग	रूपये 40,001 से 60,000.00 तक	57,000.00	पूरा मूल्य पर देय
'ड.' वर्ग	रूपये 60,001 से अधिक आय पर	76,000.00	पूरा मूल्य पर देय

उपर्युक्त शुल्क–सम्बन्धी तालिका के प्रभावी होने की तिथि सम्बन्धी निर्णय कार्यकारिणी समिति द्वारा ली जाएगी।

इसी कम में कार्यकारिणी समिति में प्रख्यात् शिक्षाविद् सदस्य श्री एच. के. पी. सिन्हा (नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक, जो जवाहर नवोदय विद्यालयों के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक भी रह चुके हैं), श्री विनोद कुमार कर्ण (जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक व पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं) एवं सभापति ने, जो कुछ ही दिनों पूर्व जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा (रांची) का भ्रमण कर आए थे, ने समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों में बालकों के प्रवेश हेतु ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं ली जाती है।

नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा संचालित अब तक की प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में आवेदन शुल्क (सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रू. और अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिए 50 रू.) लिए जाते रहे हैं। इसके साथ ही सभी परीक्षार्थियों से प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजने के लिए 40 रू. का स्वपता अंकित लिफाफा में डाक टिकट चिपका हुआ अनिवार्य होता रहा है। प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में अधिक से अधिक बालक सम्मिलित हो सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र के विज्ञप्ति में आवेदन शुल्क को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जाय, ताकि ग्रामीण एवं निर्धन परिवारों के बालक भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। इसके अलावा स्वपता लिफाफे में छात्र से किसी भी प्रकार का डाक टिकट न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

(च) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–13(iv)</u> :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय को प्रशासी विभाग से प्राप्त योजना मद के अन्तर्गत 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये राशि की विवरणी प्राचार्य, सह–सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई। विवरणी में स्पष्ट किया गया कि किन–किन विभागों/एजेन्सियों को राशि देने हेतु निर्देश प्राप्त थे तथा प्राप्त विभागीय निर्देश के आलोक में सम्प्रति किन–किन एजेन्सियों को राशि भुगतान की गई। विभागीय निर्देश के आलोक में प्राप्त राशि, भुगतान की गई राशि एवं शेष राशि की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई। साथ ही शेष राशि के नियमानुसार व्यय हेतु प्राचार्य–सह– सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

4. <u>कार्यसूची मद संख्या–03</u> :– विगत 23.02.2019 को आहूत कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की विशेष 53वीं –। बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

12.4.2019

5. **कार्यसूची मद संख्या–04** :– विगत 53वीं –। बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य– सह–सचिव द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

6. **कार्यसूची मद संख्या–05** :– समिति द्वारा नियुक्त 04 शिक्षकों, नर्स तथा कम्पाउण्डर की परीक्ष्यमान अवधि समाप्ति पश्चात् उनकी सेवा संपुष्टि संबंधी प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समयाभाव के कारण बैठक में विचार–विमर्श नहीं किया जा सका। तदनुसार, प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश हुआ कि नव–नियुक्त 04 शिक्षकों एवं नर्स तथा कम्पाउण्डर की संचिका में आवश्यक टिप्पणी/मंतव्य अभिलिखित करते हुए संचिका अविलम्ब सभापति को संप्रेषित कर देंगे, ताकि सभापति के मंतव्य के आलोक में तत्संबंधी विषय पर समुचित निर्णय आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जा सके।

7. **कार्यसूची मद संख्या–06** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सत्र 2018–19 में सफल 100 छात्रों का नामांकन दिनांक–07.04.2019 (रविवार) को राँची महाविद्यालय परिसर के एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज में लिया जाना है। चूँकि नामांकन विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती है इसलिए तत्संबंधी विषय पर आवश्यक विमर्श/निर्देश के लिए समिति के अधिवक्ता श्री भानू कुमार को भी बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया। श्री भानु कुमार के मंतव्य के अनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नामांकन में सभी छात्रों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के जाँचोंपरांत तत्काल उनका औपबन्धिक नामांकन लिया जायेगा। अगर किसी भी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनका औपबन्धिक नामांकन भी तत्काल रोक कर कम से कम अन्तराल पर संशय को स्पष्ट करते हुए अभिभावक को सूचित किया जाय। नामांकन के पश्चात् कभी भी विद्यालय, किसी भी संशय की स्थिति पर बालकों के लिए उनके सम्बन्ध में प्रदत्त दस्तावेजों/कागजातों/प्रमाणपत्रों की जांच कर विज्ञापन मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकेगा।

8. **कार्यसूची मद संख्या–09** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव के द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक–02.04.2019 को अप.3:30 बजे प्राचार्य–कक्ष में विद्यालय के दो शिक्षकों डॉ. अभिषेक मिश्रा एवं श्री रवि प्रकाश सिंह तथा विद्यालय के सभी प्रभारियों को यथा विद्यालय प्रभारी/आश्रम प्रभारी/ प्रभारी छात्रों के साथ अनुशासन के मद्देनजर एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अनुशासन के संबंध में सभी बिन्दुओं पर प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सम्यक् विचारोंपरांत प्राचार्य के निर्णय की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

9. **कार्यसूची मद संख्या–10** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित चतुर्थवर्गीय कर्मियों के सभी आवंटित आवासों की सूची को सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

12.4.2019

10. **कार्यसूची मद संख्या–11** :– प्राचार्य, सह–सदस्य द्वारा प्रस्तावित संविदा पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को वेतन वृद्धि दिए जाने के विचार–विमर्श के क्रम में वित्त–विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिए गए कि सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत कर्मियों को किसी भी प्रकार का वेतन वृद्धि भुगतान नही किया जा रहा है; अतएव राज्य सरकार के अनुशंसा उपरांत ही इन्हें वेतन वृद्धि दिया जाना उचित होगा। सम्यक् विचारोंपरांत वित्त–विभाग के प्रतिनिधि के प्राप्त मंतव्य को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

11. **कार्यसूची मद संख्या–14 (i)** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सम्प्रति, विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों तथा अनुशासन के मद्देनजर सभी आश्रम–वर्गो में चिन्हित स्थानों में CCTV कैमरों का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य रूप से पाकशाला, मुख्यद्वार, डायनिंग हॉल एवं स्वाध्याय–कक्ष को चिन्हित किया गया है। आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

12. **कार्यसूची मद संख्या–14 (ii)** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि आश्रमों में छात्रों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक आश्रम में एक Heavy duty का water Purifier मशीन लगाया जाना आवश्यक है। प्राचार्य के प्रस्ताव के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम एक 40 लीटर क्षमता वाले water Purifier मशीन विद्यालय के भवन में अधिष्ठापित करवाई जाय ताकि उसकी सफलता/असफलता को ध्यान में रखकर आश्रमों में रखे जाने सम्बन्धी निर्णय लिए जा सकें। विद्यालय की स्थानीय प्रबन्धन समिति इस कार्य के विषय में जांच कर अपनी रिपोर्ट दें जिसे कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जा सके।

13. **कार्यसूची मद संख्या–14 (iii)** :– प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित छः लघु मरम्मति कार्यो के संदर्भो में तत्काल क्रम संख्या 5 (प्राचार्य आवास एवं कोषपाल आवास के लघु मरम्मति का कार्य) को छोड़कर शेष कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

प्राचार्य को यह भी निर्देश दिया गया कि स्थानीय समिति बनाकर, प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध राशि के अनुपात में, एक शिक्षक एवं दो कर्मियों के आवास की विशेष मरम्मति कराने का सुझाव कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

सभापति ने कम संख्या 4 ग्रीन हाउस के हस्तांतरण कार्य सम्बन्धी प्रस्तावित 3" x 20" में हुई टंकण अशुद्धि को शुद्ध करते हुए 3' x 20' कर सदस्य–सचिव को निर्देश दिया कि भविष्य में टंकण भूल नहीं करने सम्बन्धी हिदायत सम्बन्धित कर्मचारी को अवश्य दें, और कहा कि सम्बन्धित सभी

12.4.2019

कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भी प्राचार्य के पास उपस्थापित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

मरम्मति कार्यों के संदर्भ में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि सर्वप्रथम संबंधित विभागों/प्रभागों से आवश्यक मांग पत्र प्राप्त कर लें। तदनुसार, स्थानीय प्रबंधन समिति की बैठक कर कार्यों की अनिवार्यता के आधार पर स्थानीय प्रबंधन समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर लें। स्थानीय प्रबंधन समिति के रिपोर्ट को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

समयाभाव के कारण कुछेक बिन्दुओं पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका। तदनुसार, प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि शेष कार्यसूची को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे :-

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग
12.4.2019

(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।